

प्रेषक

निदेशक
मत्स्य
उत्तर प्रदेश

सेवा में

समस्त उप निदेशक
समस्त सहायक निदेशक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश22/07/2024
दिनांक: 4/2024

पत्रांक: 1327/नियो०शा०/मु०म०म०स०यो०/2024-25

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना के लक्ष्यों का आवंटन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 से में सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना एक राज्य स्तरीय नवीन योजना के रूप में संचालित की जा रही है, जिसके दिशा निर्देश उ०प्र० शासन द्वारा शासनदेश संख्या: 22/2024/637/सत्रह-म-2024-17-1099/126/2023 दिनांक 11 जुलाई 2024 के माध्यम से प्रसारित कर दी गई हैं, जो पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, योजना महिला मत्स्य निर्देश <https://shasanadesh.up.gov.in/> से भी डाउनलोड की जा सकती है, योजना महिला मत्स्य पालक हेतु संचालित की गई है, योजनान्तर्गत शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु० 100.00 लाख का बजट प्रविधान किया गया है, योजन में परियोजना लागत 0.75 लाख व अनुदान @50%, 0.37500 लाख (सामान्य -ओ० बी ० सी० महिला) तथा @60%, 0.45000 लाख(अनुसूचित जाति महिला) निर्धारित किया गया है, योजना में @2% प्रशासनिक व्यय योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित किया गया है। योजना में रु० 100.00 लाख का बजट प्रावधान सामान्य मद में किया गया है, जिसके सापेक्ष संलग्न सूची के अनुसार जनपद वार लक्ष्यों का निर्धारण किया जा रहा है।

योजना का विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करते हुए, दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें साथ ही संलग्न दिशा निर्देशों की एक-एक प्रति अपने स्तर से अपने मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- 1 - योजना के दिशा निर्देश की प्रति।

2 - वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित लक्ष्य की सूची

Signed by

Noorus Saboor Rehmani

Date: 19-07-2024 14:24:49

(नूरुसबूर रहमानी)
निदेशक मत्स्य, उ०प्र०।

भवदीय

पत्रांक: /नियो०शा०/मु०म०म०स०यो०/2024-25 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. - मा० मंत्री, मत्स्य, उत्तर प्रदेश सरकार
2. - अपर मुख्य सचिव, मत्स्य उत्तर प्रदेश शासन

(नूरुसबूर रहमानी)
निदेशक मत्स्य, उ०प्र०

सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेटर सिस्टम
की स्थापना हेतु लक्ष्य (वर्ष 2024-25)

Sr. No.	District	कुल प्रस्तावित लक्ष्य 2024-25	आवश्यक अनुदान की धनराशि (लाख में)
1	2	3	4
1	Agra	3	1.125
2	Firozabad	4	1.5
3	Mainpuri	3	1.125
4	Mathura	3	1.125
	TOTAL	13	4.875
5	Aligarh	4	1.5
6	Hathras	3	1.125
7	Etah	2	0.75
8	Kasganj	3	1.125
	TOTAL	12	4.5
9	Azamgarh	4	1.5
10	Mau	4	1.5
11	Balia	4	1.5
	TOTAL	12	4.5
12	Praygraj	4	1.5
13	Kaushambi	4	1.5
14	Fathehpur	4	1.5
15	Pratapgarh	4	1.5
	TOTAL	16	6
16	Kanpur Nagar	4	1.5
17	Kanpur Dehat	4	1.5
18	Etawa	3	1.125
19	Auriya	3	1.125
20	Farukhabad	2	0.75
21	Kannuj	2	0.75
	TOTAL	18	6.75
22	Gorakhpur	4	1.5
23	Maharaj Ganj	5	1.875
24	Deoria	4	1.5
25	KushiNagar	5	1.875
	TOTAL	18	6.75
26	Banda	4	1.5
27	Chitrakoot	4	1.5
28	Hamirpur	2	0.75
29	Mahoba	3	1.125
	TOTAL	13	4.875
30	Jhansi	2	0.75
31	Jaloun	3	1.125

32	Lalitpur		3	1.125
	TOTAL		8	3
33	Gonda		4	1.5
34	Balrampur		4	1.5
35	Behraich		4	1.5
36	Shravasti		4	1.5
	TOTAL		16	6
37	Ayodhya		4	1.5
38	AmbedkarNagar		4	1.5
39	Sulltanpur		4	1.5
40	Amethi		4	1.5
41	Barabanki		4	1.5
	TOTAL		20	7.5
42	Bareilly		3	1.125
43	Badaun		4	1.5
44	Shahjhapur		4	1.5
45	Pilibhit		4	1.5
	TOTAL		15	5.625
46	Basti		4	1.5
47	SantKaberNagar		4	1.5
48	Sidharth Nagar		4	1.5
	TOTAL		12	4.5
49	Mirzapur		4	1.5
50	Sonbhadra		3	1.125
51	Bhadohi		3	1.125
	TOTAL		10	3.75
52	Muradabad		4	1.5
53	Sambhal		3	1.125
54	Amroha		4	1.5
55	Rampur		5	1.875
56	Bijnaur		4	1.5
	TOTAL		20	7.5
57	Meerut		3	1.125
58	Bagpat		2	0.75
59	Ghaziabad		2	0.75
60	Hapur		2	0.75
61	G.B. Nagar		1	0.375
62	Bulandshahar		2	0.75
	TOTAL		12	4.5
63	Lucknow		3	1.125
64	Unnao		4	1.5
65	Raibarely		4	1.5
66	Sitapur		4	1.5

67	Hardoi	4	1.5
68	Lakhimpur Kheri	4	1.5
	TOTAL	23	8.625
69	Varanasi	3	1.125
70	Chandauli	3	1.125
71	Gazipur	4	1.5
72	Jaunpur	4	1.5
	TOTAL	14	5.25
73	Saharanpur	4	1.5
74	Muzffer Nagar	3	1.125
75	Shamli	2	0.75
	TOTAL	9	3.375
	G. TOTAL	261	97.875

संख्या-22/2024/637 / सत्र-म-2024- 17-1099/126/2023

प्रेषक,

रविन्द्र,

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उओप्रो लखनऊ

लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

विषय- " सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना " के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश ।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या -157/नि0शा/2023-24 दिनांक 25 अप्रैल, 2024 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के तालाबों में सघन मत्स्य पालन करते हुए अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त करने हेतु जल की गुणवत्ता, रोग और रोगजनकों, जलीय वनस्पतियों तालाब में घुलित आक्सीजन के स्तर का प्रबंधन करने, जल कृषि में सभी एरोबिक जलीय जीवों को जीवित रहने एवं विकास के लिए निर्धारित मानक के अनुसार घुलित आक्सीजन का स्तर तालाब में बनाये रखने की आवश्यकता के दृष्टिगत " सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना " एक नवीन राज्य योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

2- " सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना " के क्रियान्वयन से सम्बंधित विवरण/ दिशा-निर्देश इस प्रकार है-

(1) योजना का उद्देश्य

मात्स्यिकी और जल-कृषि लाखों लोगों, विशेष कर ग्रामीण आबादी के लिए भोजन, पोषण, रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। वास्तव में, यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग पूरे भारत वर्ष में 25 मिलियन मछुआरों और मछली किसानों को आजीविका प्रदान करता है और मूल्य श्रृंखला के साथ दोगुनी संख्या में है। मछली पशु प्रोटीन का एक किफायती और समृद्ध स्रोत होने के कारण, भूख और पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए स्वास्थ्य प्रद विकल्पों में से एक है। इसमें आय बढ़ाने और हितधारकों के लिए आर्थिक समृद्धि लाने की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मत्स्य पालन क्षेत्र पर नीति और वित्तीय सहायता के माध्यम से सतत और केंद्रित ध्यान दिया जाए ताकि इसके विकास को एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्याय संगत तरीके से गति प्रदान करते हुए तालाब के वर्तमान उत्पादन स्तर एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि की जा सके।

(2) योजना का औचित्य:

तालाबों में सघन मत्स्य पालन करते हुए अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त करने हेतु

जल की गुणवत्ता, रोग और रोग जनकों, जलीय वनस्पतियों तालाब में घुलित आक्सीजन के स्तर का प्रबंधन करना आवश्यक है। तालाब में घुलित आक्सीजन पानी की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। जल कृषि में सभी एरोबिक जलीय जीवों को जीवित रहने एवं विकास के लिए निर्धारित मानक के अनुसार घुलित आक्सीजन का स्तर तालाब में बनाये रखना बहुत आवश्यक है। घुलित आक्सीजन का स्तर अन्य सभी समस्याओं की तुलना में बड़े पैमाने पर मछलियों की अचानक मरने का प्रमुख कारण है। तालाब का पानी मुख्य रूप से सतही जल पर वायुमंडलीय वायु की परस्पर क्रिया के माध्यम से एवं प्रकाशसंश्लेषण द्वारा आक्सीजन प्राप्त करता है। अच्छे उत्पादन के लिए तालाबों या कल्चर टैंकों में घुलित आक्सीजन का स्तर को पूरे कल्चर अवधि के दौरान 5.5ppm ऊपर ही रखना चाहिए। तालाबों या कल्चर टैंकों के तल पर अमोनिया के संचय के कारण पानी में DO स्तर भी विगड़ जाता है क्योंकि एक सघन जलीय कृषि प्रणाली में मछलियों को उनकी वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए कृत्रिम चारा और विभिन्न प्रकार की दवाएं दी जाती हैं। वर्तमान में, तालाबों और टैंकों की जलीय कृषि प्रणाली में औसत उत्पादकता लगभग 4-5 टन/हेक्टेयर है। उल्लेखनीय है कि राज्यके कुछ प्रगतिशील मछली किसान सघन जलीय कृषि प्रणाली में मछली पालन की आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके 9-10 टन मछली का उत्पादन कर रहे हैं।

सघन जलीय कृषि प्रणाली के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे छोटे-सीमांत मछली किसान अपनी कृषि प्रणाली में इस तकनीक को अपनाने में असमर्थ हैं, लेकिन यदि उन्हें जलीय कृषि प्रणाली के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनरी/उपकरण जैसे एरेटर, एयरब्लोअर रियायती दरों पर प्रदान किए जाते हैं तो वे भी सीमित क्षेत्रफल से अधिकतम उपज प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे।

(3) योजना कार्य क्षेत्र -

यह परियोजना प्रदेश केस भी जनपदों में संचालित की जायेगी। परियोजनांतर्गत 0.50 हे० के तालाब में 2 हार्सपावर के एक क्वाड पैडल व्हील एरियेटर एवं 1.00 हे० या उससे बड़े तालाब हेतु अधिकतम दो एरियेटर पर महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान मत्स्य उत्पादकता कम से कम 4 टन प्रति हे० हो को अनुदान दिया जायेगा।

(4) योजना का क्रियान्वयन एवं लाभार्थी चयन -

सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम का विकास परियोजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत मत्स्य बीज हेचरी संचालित करने वाले निचरी स्वामी, निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित ऐसी महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान मत्स्य उत्पादकता कम से कम 4 टन प्रति हे० हो तथा पट्टे की स्थिति में पट्टे अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो पात्र होंगे। लाभार्थी के चयन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार

करते हुए विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन प्राप्त कर जनपदों में निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पत्र आवेदनों का रैंडमाइजेशन करते हुए चयन किया जायेगा:

- 1- मुख्य विकास अधिकारी - अध्यक्ष
- 2- जिलाधिकारी द्वारा नामित जिलास्तरीय अधिकारी - सदस्य
- 3- सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्यकार्यकारी अधिकारी - सदस्य सचिव

जिला स्तरीय चयन समिति से अनुमोदित लाभार्थियों की सूची जनपदीय अधिकारी द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध बजट सीमा के अन्तर्गत जनपद के अनुमोदित लाभार्थियों के सापेक्ष अन्तिम लक्ष्य निर्धारित करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी। चयन उपरांत लाभार्थी द्वारा एयररेटर स्थापित किये जाने करे किए जाने के उपरांत उसे अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। योजना का लाभ निर्धारित समयान्तर्गत लोगों को प्रदान किये जाने हेतु समय सारिणी का निर्धारण निम्नवत है :-

क्र०	कार्य/मदकानाम	माह
1	योजना का प्रचार-प्रसार आन-लाइन आवेदन एवं लाभार्थी चयन	जनवरी से मार्च
2	प्रॉक्कलन/डीओआर तैयार कराना एवं बैंक से ऋण की स्वीकृति प्राप्त करना।	अप्रैल से मई
3	लाभार्थी द्वारा स्वयं अथवा बैंक ऋण के सापेक्ष क्रय किये गये एयररेटर की जियोटैग फोटोग्राफी एवं जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा सत्यापन तथा परियोजना के सापेक्ष अनुदान उपलब्ध कराना।	जून से सितम्बर

(5) इकाई लागत व फण्डिंग पैटर्न:-
सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना शत-प्रतिशत राज्यपोषित परियोजना है। परियोजनान्तर्गत 0.50 हे० के तालाब में 2 हार्स पावर के एक क्वाड्रेंट पैडिल व्हील एरेटर एवं 1.00 हे० या उससे बड़े तालाब हेतु अधिकतम दो एरेटर पर एक लाभार्थी अनुदान प्राप्त कर सकता है। एरेटर सिस्टम की प्रति इकाई लागत रु० 0.75 लाख होगी जिसमें लाभार्थी अंश का धनराशि (सामान्य महिला मत्स्य पालक द्वारा योजना की इकाई लागत का 50% तथा अनुसूचित जाति महिला मत्स्य पालक द्वारा 40% धनराशि) लाभार्थी स्वयं के साधन से अथवा बैंक ऋण लेकर वहन किया जाएगा। योजनान्तर्गत सामान्य महिला मत्स्य पालक को परियोजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान की धनराशि अर्थात् रु० 0.375 लाख प्रति इकाई सामान्य महिला मत्स्य पालक को एवं अनुसूचित जाति के महिला मत्स्य पालक को 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा। परियोजना का फण्डिंग पैटर्न निम्नवत है:

क्र०	मद	लाभार्थी वर्ग	इकाई लागत	अनुदान प्रतिशत	लाभार्थी अंश	अनुदान धनराशि
1	सघन मत्स्य पालन हेतु एरेटर सिस्टम का	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला मत्स्य	0.75	50	0.375	0.375

स्थापना	पालक				
	अनुसूचित जाति वर्ग की महिला मत्स्य पालक	0.75	60	0.30	0.45
2 प्रशासनिक (योजना क्रियान्वयन अनुश्रवण हेतु) @2%	जनपदीय एवं मंडलीय के कार्यालय एवं निदेशालय हेतु	-	100	-	0.015

(6) भौतिक कार्य पूर्ति का मापदण्ड:-

6.1- चयनित लाभार्थी द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित मानक के एयरटर का क्रय किया जायेगा। क्रय किये गये एयरटर को चयनित किये गये तालाब में स्थापित कराकर सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्रय किये गये एयरटर एवं अन्य सामग्री के बिल/ वाउचर्स संलग्न करते हुए योजनान्तर्गत अनुदान हेतु सूचित किया जायेगा।

6.2- संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा परियोजना के सापेक्ष क्रय किये गये एयरटर एवं अन्य सामग्री का स्थलीय निरीक्षण करते हुए लाभार्थी एवं सामग्री के साथ जियो टैग फोटो लेते हुए अनुदान भुगतान की कार्यवाही हेतु कार्य पूर्ण प्रमाणपत्र के साथ विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

6.3- लाभार्थी को अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 द्वारा एक-किशत में लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

6.4- लाभार्थी को कम से कम 05 वर्ष तक तालाब में अच्छा उत्पादन प्राप्त किये जाने हेतु लगाये रखना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में दिये गये अनुदान की धनराशि की वसूली संबंधित लाभार्थी से नियमानुसार की जायेगी।

6.5- लाभार्थी द्वारा तालाब/ हैचरी से प्रति वर्ष मत्स्य उत्पादन/ मत्स्य बीज उत्पादन का आकड़ा संबंधित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) परियोजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण:-

परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय अनुश्रवण लाभार्थी/स्थल (तालाब/हैचरी) चयन, एयरटर आदि के क्रय एवं इस के उपयोग का समय-समय पर जनपद एवं मण्डल स्तर से किया जायेगा, जिसका औचक सत्यापन/ निरीक्षण समय-समय पर मुख्यालय स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी किया जायेगा। परियोजना के महत्वपूर्ण घटकों का साक्ष्य जियोटैग फोटोग्राफ/वीडियोग्राफी के माध्यम से जनपद स्तर पर अभिलेखांक सुरक्षित किया जायेगा।

(8) योजना के लाभ (रोजगार सृजन सहित प्रमुख प्रभाव):-

(अ) परियोजना से तालाब में पानी की गुणवत्ता का रखरखाव से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

(ब) मछुआरों और मत्स्यपालकों की आय में वृद्धि करने में सहायक।

(स) कृषि सकल मूल्य में मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान में वृद्धि करना।

(द) ग्राम सभा के पट्टे के तालाबों/निजी तालाबों/निजीक्षेत्र की हैचरियों तालाबों में एयरटर

स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर गाभीण स्तर पर प्रत्यक्ष लाभप्रद रोजगार के अक्सर पैदा करना और आपूर्ति हेतु मूल्य श्रृंखला के साथ अप्रत्यक्ष रोजगार के अक्सरों के रूप में उन की संख्या को बढ़ाना।

(य) बचे हुए खाद्य पदार्थों के अपघटन के कारण निकलने वाली जहरीली गैसों का ओक्सीकरण

अतएव इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया "सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना" के संचालन हेतु उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by भवदीय

Ravinder

Date: 02-07-2024 17:11:28

प्रमुख सचिव

22/2024/637(L)

संख्या / सत्र-म-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, 30प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
5. विशेष कार्यधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
6. सगस्त गण्डलायुक्त, 30प्र0।
7. सगस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
8. प्रवन्ध निदेशक, 30प्र0 गतरूप विकास निगम लि०, लखनऊ।
9. प्रवन्ध निदेशक, 30प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि०, लखनऊ।
10. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सागरी, ऐशवाग लखनऊ को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य, 30प्र0।
12. सगस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 30प्र0।
13. सगस्त मुख्य विकास अधिकारी/अधिकासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण, 30प्र0।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।